न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान लादूराम बनाम गंगा

ा संख्या / वर्ष   टी0आई0 64 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/1/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी ग्राम लालपुरा, प0ह0 पचार, भू0अ0नि0 क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 385 रकबा 0.5944 है0, खसरा नम्बर 386 रकबा 0.2403 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 दर्ज रिकॉर्ड है तथा शेष अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के आधार पर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने, सोसायटी को बेचान कर, प्लॉट काटने तथा उन्हे उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देते है। चूंकि अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05, 09 लगायत 11 की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 01 व 06 की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्षों की दौराने बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि	

में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम लालपुरा, प0ह0 पचार, भू0अ0नि0 क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 385 रकबा 0.5944 है0, खसरा नम्बर 386 रकबा 0.2403 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21-01-2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम